न्यायालयः ग्राम न्यायालय, नवलगढ़, जिला झुन्झुनू (राज०)

पीठासीन अधिकारी – सुमन चौधरी (आर.जे.एस.)

नियमित आपराधिक प्रकरण सख्या – 80/2022

सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या – 80/2022

सी०एन०आर० नंबर – RJJH140002292022

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 54/2022, मुकुंदगढ़

अपराध अंतर्गत धारा – 279, 304 ए भा.द.स.

भाग–प्रथम

A

परिवादी	श्री प्रदीप यादव
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री विकास शर्मा
अभियुक्त का नाम व पता	ईश्वर सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, उम्र 40 साल, निवासी लांबा गोठड़ा, पुलिस थाना बगड़, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री दीपेंद्र सिंह जाखड़
अधिवक्ता परिवादी	–––––

B

अपराध की दिनांक	07–04–2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	07–04–2022
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	04–05–2022
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	04–05–2022
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	15–06–2022
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	–––––––
निर्णय दिनांक	12–03–2026
दण्डादेश की दिनांक	–––––––

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में

							व्यतीत की गई अवधि
01	ईश्वर सिंह	------	------	279, 304 ए भा.द.स.	दोषमुक्त	-------	----------

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	प्रदीप कुमार	परिवादी
पी.डब्ल्यू 2	श्रीकांत यादव	फर्द पंचायतनामा, नक्शा मौका घटनास्थल, बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 3	रवि प्रकाश	बयान धारा 161 सीआरपीसी, फर्द जप्ती वाहन व कागजात बस नंबर आरजे 18 पीबी 1143 व नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट
पी.डब्ल्यू 4	विजय कुमार	फर्द जप्ती वाहन व कागजात बस नंबर आरजे 18 पीबी 1143
पी.डब्ल्यू 5	मुकेश कुमार यादव	फर्द पंचायतनामा, नक्शा मौका घटनास्थल, बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 6	अनिल कुमार	बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 7	अनूप कुमार	फर्द पंचायतनामा
पी.डब्ल्यू 8	डॉ. मनोज कुमार	चिकित्सीय गवाह
पी.डब्ल्यू 9	कानाराम	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू 10	सुखवीर	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू 11	पुरूषोतम	पुलिस गवाह

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी.01	तहरीर रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी.02	नक्शा मौका घटनास्थल
03	प्रदर्श पी.03	फर्द पंचायतनामा व सुरत हाल लाश
04	प्रदर्श पी.04	रसीद सुपुर्दगी लाश
05	प्रदर्श पी.05	फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी इलेक्ट्रीक स्कूटी नंबर आरजे न्यू 5361
06	प्रदर्श पी.06	बयान धारा 161 सीआरपीसी श्री रविप्रकाश नेहरा
07	प्रदर्श पी.07	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट
08	प्रदर्श पी.08	स्टांप पावर ऑफ अटोर्नी
09	प्रदर्श पी.09	फर्द जप्ती अशोक लीलैंड बस नंबर आरजे 18 पीबी 1143
10	प्रदर्श पी.10	फर्द जप्ती असल कागजात अशोक लीलैंड बस नंबर आरजे 18 पीबी 1143
11	प्रदर्श पी. 11	बयान धारा 161 सीआरपीसी श्री मुकेश यादव
12	प्रदर्श पी. 12	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक संजू देवी
13	प्रदर्श पी. 13	चाक एफआईआर
14	प्रदर्श पी. 14	नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट
15	प्रदर्श पी. 15	मैकेनिकल मुआयाना

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––		

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	

01– संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 07–04–2022 को परिवादी प्रदीप कुमार ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी पत्नी संजू देवी निवासी वार्ड नंबर 19 डूंडलोद की रहने वाली थी जो कि डूंडलोद से अपने खेत में इलेक्ट्रीक स्कूटी से जा रही थी। डूंडलोद इंडियन ऑयल पंप से 50 मीटर मुकुंदगढ़ की तरफ पिलानी से जयपुर रूट की लोक परिवहन बस आरजे 18 पीबी 1143 के चालक ने लापरवाहीवश स्कूटी को सुबह 08.20 बजे टक्कर मार दी। दिनांक 07–04–2022 जिसमें संजू देवी को गंभीर चोट आई। जिसको राजकीय जिला अस्पताल में लेकर गये वहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की कृपा करें, इत्यादि.....।" उक्त आशय की तहरीर रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02– न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर अभियोजन साक्ष्य को तलब किया गया।

03– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या–01 व 02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पृष्ठ संख्या–02 पर भाग 'अ' में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

04– अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, उसके विरूद्ध झुठा मुकदमा दर्ज करवाया जाना बताया व साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इन्कार किया गया।

05– दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन मामला अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित हाने के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजायाब किये जाने का निवेदन किया।

06– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुये यह तर्क दिया कि गवाहान के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। प्रकरण में वाहन व वाहन चालक की पहचान, वाहन की तेज गति व लापरवाही प्रमाणित नहीं हो पाई है। अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

07– बहस उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक

अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिन्दु विरचित किये जाते है–

01– आया अभियुक्त ने दिनांक 07–04–2022 को समय करीब 08.20 एएम सुबह या उसके लगभग वाके मौजा आम सड़क डूंडलोद से मुकुंदगढ़ जाने वाली पर इंडियन ऑयल पंप से 50 मीटर मुकुंदगढ़ की तरफ वाहन बस नंबर आरजे 18 पीबी 1143 वाहन पर सवार होकर उसको उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन को संकाटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन से टक्कर मारकर कर दुर्घटना कारित कर दी। जिससे इस दुर्घटना में आई चोटों के परिणाम स्वरूप संजू देवी की मृत्यु कारित हुई जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती?

02– यदि हां, तो उसका उचित दण्ड क्या होगा ?

08– भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (आगे **अधिनियम, 1872** से उल्लेखित) की धारा 102 के प्रावधानानुसार, उक्त विचारणीय बिन्दू को साबित करने का भारी अभियोजन पर है। आपराधिक विधि के मुख्य सिद्धांत "Presumption of innocence" के कारण अभियोजन को अपना प्रकरण अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित करना होता है।

09– प्रकरण में परिवादी की मुख्य परीक्षा की साक्ष्य पर गौर करे तो **पी०डब्ल्यू–01 प्रदीप कुमार** अपने मुख्य परीक्षण की सशपथ साक्ष्य में कथन करता है कि दिनांक 07–04–2022 को उसकी पत्नी डूंडलोद से अपने खेत में इलेक्ट्रीक स्कूटी से जा रही थी। करीब सुबह 08.20 बजे डूंडलोद पैट्रॉल पंप से 50 मीटर मुकुंदगढ़ की तरफ पहुंची तो पिलानी से जयपुर रूट की लोक परिवहन बस जिसके नंबर आरजे 18 पीबी 1143 थे। जिसके चालकम ने अपनी बस को तेजगति व लापरवाही से चलाते हुए उसकी पत्नी को टक्कर मारकर उसका एक्सीडेंट करी दिया। जिससे उसके सिर और हाथ में गंभीर चोट आयी। जिसको राजकयी अस्पताल में लेकर गये, वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त लोक परिवहन बस को ईश्वर सिंह निवासी लांबा गोठड़ा वक्त दुर्घटना चला रहा था। चालक के नाम की जानकारी उसे उक्त दुघर्अना देखने वाले व्यक्ति श्रीकांत जी, मुकेश जी और विष्णु जी ने दी थी। उसकी पत्नी ने मोड़ में मुड़ने के लिए इंडिकेटर दिया था, उसके बावजूद भी बस के चालक ने उसे देखे बिना उसकी स्कूटी को टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट उसने घटना वाले दिन ही राजकीय अस्पताल नवलगढ़ में दे दी थी। उसके सामने पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया

था, जो प्रदर्श पी 02 है। उसकी पत्नी का पंचायतनामा घटना वाले दिन ही तैयार कर दिया था। बाद पोस्टमार्टम उसे उसकी पत्नी की लाश को सुपुर्द कर दिया था। **प्रतिपरीक्षा** में गवाह कथन करता है कि दुर्घटना के समय वह डीपीएस स्कूल में था। उसे श्रीकांत जी का फोन आया था। श्रीकांत जी स्कूल चलाते हैं। वे श्री श्याम विद्या निकेतन स्कूल के संचालक है। श्रीकांत जी ने दुर्घटना देखी या नहीं देखी। इसका उसे नहीं पता। प्रदर्श पी 01 मुकेश जी कलम से लिखी है। यह सही है कि प्रदर्श पी 01 में जो लिखा है। उस दुर्घटना को उसने नहीं देखा था। वह दुर्घटना के दो घंटे बाद दुर्घटना स्थल पर गया था। दुर्घटनास्थल वह जिस स्कूल में काम करता है। उससे डेढ़ किलोमीटर दूर है। उसे सूचना मिलने के बाद वह स्कूल से अस्पताल चला गया था। उसका खेत पेट्रोल पंप मुकुंदगढ़ की तरफ चलने पर 50 मीटर दूरी पर पंप के सामने है। यह भी सही है कि उसने प्रदर्श पी 01 में दर्ज बस को चलाते हुए किसी को नहीं देखा। उसकी पत्नी कितनी स्पीड में थी या उसने इंडिकेटर दिया या नहीं दिया। उसका उसे नहीं पता। नक्शा मौका के समय वह, विष्णु, मुकेश और श्रीकांत थे। दुर्घटनास्थल के आसपास दुकानें बनी हुई है और वहां कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन पुलिस वालों ने रिकॉर्ड हुई दुर्घटना दिखायी थी। नक्शा मौका बनाया तब दुकान का मालिक वहां पर था या नहीं था। वह नहीं बता सकता। श्रीकांत और मुकेश को उसने नहीं बुलाया। वे तो नक्शा मौका बनाते समय ही आये थे। प्रदर्श पी 02 बनाया तब दुर्घटनाग्रस्त वाहन मौके पर नहीं थे। स्कूटी आगे से पूरी टूटी हुई थी तथा साइड से वाइजर टूटे हुए थे। यह सही है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी। इसलिए वह नहीं बता सकता कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी।

10– इस संबंध में गवाह **पी०डब्ल्यू–02 श्रीकांत यादव** अपने मुख्य परीक्षण की सशपथ साक्ष्य में कथन करता है कि दिनांक 07.04.2023 को करीब 08.20 के पास जब वह डूंडलोद पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तब उसके आगे प्रदीप यादव की पत्नी संजू देवी इलेक्ट्रीक स्कूटी लेकर मुकुंदगढ़ की तरफ जा रही थी। जब वह डूंडलोद इंडियन ऑयल पंप से 50 मीटर मुकुंदगढ़ तक पहुंची तब मुकुंदगढ़ से एक बस नंबर आरजे 18 पीबी 1143 थे, उसका ड्राइवर उसको काफी तेज गति व लापरवाही से चलाता आया और संजू देवी को टक्कर मारकर उसका एक्सीडेंट कर दिया। जिससे संजू देवी के गंभीर चोट लगी। बस का चालक सामने से रोंग साइड से आ रहा था। परंतु आगे अपनी **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि वह पंप से पहले डूंडलोद की साइड पर था। यह पंप चढ़ाई पर है तथा पंप में आगे मुकुंदगढ़ की तरफ ढलान है। एक्सीडेंट मुकुंदगढ़ की साइड हुआ था। नक्शा मौका आठ तारीख को बनाया गया था। उसे प्रदीप ने फोन किया था। यह सही है कि नक्शे पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। स्कूटी के आगे कुछ नहीं था। कोई साधन स्कूटी के आगे नहीं था। इसलिए स्कूटी चालक को दिखाई दे रहा था कि सामने से कौन

आ रहा है। स्कूटी के बराबर में कोई साधन नहीं था। स्कूटी के नंबर वह नहीं बता सकता। उसे जानकारी नहीं है कि संजू के पास लाइसेंस था या नहीं। बस वाला सामने से हॉर्न बजाता हुआ आ रहा था। ड्राइवर का नाम वहां लड़कों ने बताया, किसने बताया उसका नाम नहीं बता सकता। वहां काफी भीड़ थी। ड्राइवर को वह शायद पहचान सकता है, लेकिन ज्यादा समय हो गया इसलिए वह श्योर नहीं कह सकता है। ड्राइवर सीट पर किसी को नहीं देखा था। नक्शा मौका बनाया तब बस और स्कूटी मौके पर नहीं थी। पुलिस वालों ने थाने में ड्राइवर की पहचान नहीं करवायी।

11– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–03 रवि प्रकाश** भी स्वीकार करता है कि उसे एक्सीडेंट कब हुआ नहीं पता अर्थात वह हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है।

12– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–04 विजय कुमार** भी स्वीकार करता है कि उसके सामने पुलिस ने दिनांक 08–04–2022 को प्रकरण में लिप्त वाहन बस नंबर आरजे 18 पीबी 1143 को जरिये फर्द जब्त किया था। जिसकी फर्द जब्ती उसके सामने पुलिस ने तैयार की थी। जो प्रदर्श पी 09 है। जिस पर सी से डी उसके गवाह के रूप में हस्ताक्षर है। उसी रोज उक्त वाहन का मूल मुखत्यार उसके सामने जप्त किया था। आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि बस मुकुंदगढ़ थाने पर ही जब्त की थी। थाने पर बस कौन लाया और कब लाया उसे जानकारी नहीं है। उसके सामने पुलिस वालों ने गाड़ी के चेसिस नंबर व इंजन नंबर नहीं लिए। उससे तो सिर्फ साइन करवाये थे। उसके सामने कुछ भी जप्त नहीं किया।

13– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू०–05 मुकेश कुमार यादव** भी स्वीकार करता है कि उसने किसी प्रकार की दुर्घटना होते हुए नहीं देखी अर्थात वह पक्षद्रोही घोषित हुआ है।

14– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्लयू०–06 अनिल कुमार** भी स्वीकार करता है कि उसके पास एक बस है। जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर आरजे 18 पीबी 1143 है। उसने उक्त बस की देखरेख के लिए दिनांक 18.12.2020 को एक पावर ऑफ अटोर्नी रवि प्रकाश नेहरा को नियुक्त किया हुआ है और वो ही बस की देखरेपा कर रहा है। मूल पावर आूफ अटोर्नी प्रदर्श पी 08 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा ए से बी मुख्तयार रवि प्रकाश के हस्ताक्षर है। बस से कोई एक्सीडेंट हुआ हो तो उसे जानकारी नहीं है। आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि दिनांक 07–04–2022 को बस पर चालक कौन था उसे पता नहीं है। यह सही है कि बस पर चालक वह ही नियुक्त करता है और चालक को

तनख्वाह भी वही देता है।

15– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–07 अनूप कुमार** स्वीकार करता है कि उसके सामने पुलिस ने दिनांक 07–04–2022 को मृतका संजू देवी का फर्द पंचायतनामा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी 03 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। आगे प्रतिपरीक्षा में कथन करता है कि फर्द पंचायतनामा किसने बतनाया था उसे पता नहीं। यह कहना गलत है कि उसके सामने पंचनामा तैयार नहीं किया गया हो।

16– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–08 डॉ. मनोज कुमार** स्वीकार करता है कि उस रोज उसने पुलिस प्रतिवेदन पर संजू देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी। जिसकी मृत्यु रोड एक्सीडेंट में आयी चोटों के कारण हुई थी। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 12 है, जिस पर ए से बी उसकी मृत्यु के संबंध में राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसकी राय में मृतका की मृत्यु का कारण दिमाग में आई चोट से न्यूरोजेनिक शॉक से हुई थी। सभी चोटें मृत्यु के पहले की है। मृतका की मौत उसके परीक्षण करने से पहले 06 घंटे के भीतर हुई थी। आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि उसने दिनांक 07–04–2022 को मृतका का परीक्षण किया था। इस समय से छह घंटे के भीतर की चोट थी। रिपोर्ट उसी दिन उस समय ही बना दी थी। यह कहना सही है जो कच्ची स्लीप तैयार की जाती है वह पत्रावली में नहीं है।

17– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोनज पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–09 कानाराम** स्वीकार करता है कि उस रोज प्रार्थी प्रदीप कुमार ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट दुर्घटना बाबत थानाधिकारी के समक्ष पेश की। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है।, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 13 है, जिस पर थानाधिकारी के हस्ताक्षर सी से डी हैं, जिनके अधीन्सथ कार्य करने के कारण वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। दौराने अनुसंधान उसने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था, जो प्रदर्श पी 02 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। पुस्त पर आई से जे हालात मौका अंकित है तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उसने गवाहान के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किए थे। मृतका संजू देवी का फर्द पंचायतनामा, रसीद सुपुर्दगी लाश व पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुखवीर एचसी द्वारा तैयार की गयी जो प्रदर्श पी 03, पी 04 व पी 12 है। रवि प्रकाश को जो दुर्घटना कारित वाहन के जरिये मुख्तयारनामा है उनको धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया गया जो प्रदर्श पी 07 है। आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि बस दिनांक 08–04–2022 को थाने परिसर से सुरक्षात खड़ी को जप्त की थी। बस नंबर आरजे 18 पीबी 1143 थाने में किसने और कब लाकर खड़ी की थी वह उसे नहीं बता सकता। उसने बस जप्त करते समय बस की

फोटोग्राफी नहीं की। यह सही है कि फर्द जप्ती बस प्रदर्श पी 09 में बस पर एक्सीडेंट के कोई आलामात किसी अन्य वाहन के रगड़क के निशान व रंग लगे होने बाबत कोई अंकन नहीं है। बस के आगे का शीशा कब का तड़का हुआ था, वह नहीं बता सकता। प्रदर्श पी 05 का फर्द निरीक्षण मैकेनिक से नहीं करवाया गया था। उसके द्वारा ही किया गया था। स्कूटी चलने की स्थित में नहीं थी। वह यह नहीं बता सकता कि एक्सीडेंट होने से पहले स्कूटी के ब्रेक सही काम कर रहे थे या नहीं। यह सही है कि एमटीओ रिपोर्ट उसके सामने नहीं बनी। इसलिए वह नहीं बता सकता कि रिपोर्ट सही बनी है या नहीं बनी। यह सही है कि नक्शा मौका में स्कूटी के टूटे हुए पार्ट व एक्सीडेंट के कोई आलामात नहीं दर्शाया हुआ है। जिस दिन वह निरीक्षण करने घटनास्थल पर गया था। श्रीकांत और मुकेश यादव मौजूद थे। इनको कौन बुलाकर लाया था। उसे नहीं पता। ईश्वर को मौके से गिरफतार नहीं किया था। चश्मदीद गवाह मुकेश और श्रीकांत व विष्णु है। जिनसे उसने चालक की पहचान नहीं करवायी थी। स्वतंत्र गवाह मुकेश, विष्णु और श्रीकांत बरवक्त दुर्घटना मौके पर नहीं हो तो उसकी उसे जानकारी नहीं है।

18– उक्त गवाहन के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–10 सुखवीर** स्वीकार करता है कि उउस रोज उसने मृतका संजू देवी का फर्द पंचनामा मौके पर सीचसी नवलगढ़ में तैयार किया जो प्रदर्श पी 03 है। जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर है। बाद पोस्टमार्टम मृतका की लाश को प्रदीप यादव को सुपुर्द किया। रसीद सुपुर्दगी लाश उसके द्वारा तैयार की गयी थी। संजू देवी का पीएमआर राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़ में मेडिकल ज्यूरिष्ठ से करवाय गया जो संलग्न पत्रावली है। आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि जिरह का अवसर दिया गया, जिरह नहीं करनी चाही।

19– उक्त गवाहन के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–11 पुरूषोतम** स्वीकार करता है कि उस रोज उसने जप्तशुदा वाहन बस नंबर आरजे 18 पीबी 1143 का मैकेनिकल मुआयाना रिपोर्ट तैयार की थी। जो प्रदर्श पी 15 है, जिस पर ए से बी उसके रिपोर्ट तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। वाहन चालू हालत में था। वाहन को चलाकर देखा गया तो वाहन के ब्रेक लगाने पर वाहन दांहिनी तरफ खींचाव कर रहा था। वाहन का कंट्रोल सिस्टम सहीं काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा वावाहन का कंट्रोल सिस्टम सही काम नहीं कर रहा था। इसलिए दुर्घटना हुई हो तो वह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि कंट्रोल सिस्टम सही काम नहीं कर रहा हो तो वाहन ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं रहती।

20– चूंकि प्रकरण में न्यायालय के समक्ष प्रथम बिन्दू यह है कि क्या सुसंगत दिवस समय व स्थान पर आरोपी **ईश्वर सिंह** प्रश्नगत वाहन **बस आर.जे.–18–पी.बी.–1143** का

चालक था? जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **संग्राम सिंह बनाम राजस्थान राज्य–आर.एल.आर. 1990(2) राज. हाईकोर्ट पेज नंबर–726** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन को सर्वप्रथम यह तथ्य सिद्ध करना होता है कि दुर्घटना के समय संबंधित वाहन अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था, तत्पश्चात ही यह प्रश्न उठता है कि क्या अभियुक्त दुर्घटना के समय वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से चला रहा था। परिवादी द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट पर गौर करें तो हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह परीक्षित करवाए गए हैं। गवाह पीडब्ल्यू 01 ने दौराने मुख्य परीक्षा अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में वर्णित कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए यह कथन किया है कि दिनांक 07–04–2022 को सुबह 08.20 बजे उसकी पत्नी इलेक्ट्रीक स्कूटी पर जा रही थी। लोक परिवहन बस नंबर आरजे 18 पीबी 1143 को चलाकर उपेक्षा व लापरवाहीपूवर्क चलाते हुए टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। उपरोक्त गवाह हस्तगत प्रकरण में घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है तथा दौराने जिरह कथन करता है कि उसने दुर्घटना घटित होते हुए नहीं देखी। दुर्घटना के समय वह डीपीएस स्कूल में था। यहां यह तथ्य स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष को हस्तगत प्रकरण में यह साबित करना है कि अभियुक्त द्वारा बरवक्त घटना वाहन नंबर आरजे 18 पीबी 1143 को उपेक्षा व लापरवाहीपूवर्क चालकर दुर्घटना कारित की गयी, जिसका चालक अभियुक्त था। इसके संबंध में गवाह पीडब्ल्यू 01 ने यह कथन किया है कि वह घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि गवाह पीडब्ल्यू 01 बरवक्त घटना मौके पर नहीं था, ना ही उसने अभियुक्त को देखा था, ना ही चालक की उपेक्षा व लापरवाही के संबंध में उपरोक्त गवाह की साक्ष्य विश्वसनीय मानी जा सकती है। अतः उपरोक्त गवाह की साक्ष्य हस्तगत प्रकरण में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

21– पीडब्ल्यू 02 हस्तगत प्रकरण में स्वयं को चश्मदीद साक्षी बताता है। बरवक्त घटना मौके पर उपस्थित होना व चालक द्वारा उपेक्षा व लापरवाही से वाहन को चलाकर दुर्घटनाकारित करने का कथन करता है, परंतु दौराने मुख्य परीक्षा गवाह ने कथन किया है कि ड्राइवर का नाम उसे वहां के लड़कों ने बताया था, किसने बताया था वह नहीं बता सकता। आगे गवाह ने कथन किया है कि वह ड्राईवर को अच्छे से नहीं पहचान सकता है, क्योंकि घटना काफी पुरानी हो गयी है तथा उसने ड्राईवर सीट पर चालक को नहीं देखना बताता है। उपरोक्त गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि गवाह स्वयं को घटना का चश्मदीद साक्षी बताता है तथा घटना को 20 मीटर दूर से देखना बताता है। ड्राईवर चालक की पहचान व ड्राईवर सीट पर चालक नहीं देखना, मौके पर घटनास्थल पर उपस्थित होने के पश्चात भी चालक का नाम स्वयं द्वारा नहीं पूछना गवाह की साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न करता है। गवाह ने स्वयं को दुर्घटनास्थल की

चढ़ाई से पहले तथा घटना के दूसरी तरफ घटना घटित होना बताया है तथा अपने आगे वह पीछे वाहन का चलना नहीं बताया है। जिससे गवाह का यह कथन भी कि उसने बस को दूर से आते हुए देखा लिया था व बस चालक की लापरवाही भी उसने देखी हो। यह भी संदेहास्पद प्रतीत होता है। गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि हस्तगत प्रकरण में गवाह की घटनास्थल पर उपस्थिति संदेहास्पद प्रतीत होती है तथा गवाह ने बरवक्त घटना अभियुक्त द्वारा वाहन को उपेक्षा से लापरवाही से चलाते हुए देखा हो, यह भी संदेहास्पद है क्योंकि गवाह पीडब्ल्यू 02 द्वारा चालक की पहचान करने में असमर्थता जतायी गयी है। सर्वप्रथम हस्तगत प्रकरण में चालक की पहचान किसी भी गवाह से साबित नहीं हुई है कि बरवक्त घटना दुर्घटनाकारित बस नंबर आरजे 18 पीबी 1143 का चालक अभियुक्त रहा हो।

22– चूंकि बस चालक की पहचान हस्तगत प्रकरण में साबित नहीं हुई है। अतः उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक बस को चलाए जाने के तथ्य को भी हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष साबित करने में असमर्थ है। गवाह पीडब्ल्यू 11 मैकेनिकल मुआयना करने वाला है, जिसने दौराने मुख्य परीक्षा कथन किया है कि वाहन का कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा था तथा यह कहना सही है कि जब कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा हो, तब वाहन ड्राईवर के कंट्रोल में नहीं रहता। एक्सीडेंट के वाहन में उपेक्षा व लापरवाही साबित करने से पूर्व वाहन की मैकेनिकल रिपोर्ट करवायी जाना तथा वाहन की स्थित को देखा जाना आवश्यक है। चूंकि मैकेनिकल रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि वाहन का कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा था। जिससे यह स्पष्ट है कि बरवक्त घटना वाहन ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं रहा तथा ड्राईवर के कंट्रोल में नहीं रहने से दुर्घटना कारित होना संभावित है। जब वाहन में इस तरह की तकनीकी खराबी हो तथा वाहन ड्राईवर के कंट्रोल से बाहर हो जाए तब वाहन से हुई दुर्घटना के लिए चालक को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है तथा चालक की उपेक्षा व लापरवाही ऐसे प्रकरणों में साबित नहीं होती है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में किसी भी गवाह द्वारा चालक की पहचान नहीं की गयी है तथा दुर्घटनाकारित वाहन का कंट्रोल सिस्टम भी खराब होना पाया गया है। अतः उपरोक्त आधारों पर अभियोजन पक्ष हस्तगत प्रकरण में यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि बरवक्त वाहन का चालक अभियुक्त रहा हो तथा उसकी उपेक्षा व लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई हो। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। आपराधिक विधि का यह नियम है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करें। परंतु हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई गवाह उपस्थित नहीं है, जो घटना का चश्मदीद साक्षी है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष हस्तगत प्रकरण में यह साबित करने में असफल रहे हैं कि बरवक्त घटना वाहन बस का चालक

अभियुक्त रहा हो और उसकी तेज गति व लापरवाही बरतने के तदुपरांत घटना घटित हुई हो। अतः न्यायालय द्वारा किये गये उपर्युक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा – 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल प्रकट हुआ है।

23– परिणामतः उपर्युक्त समस्त विवेचन से विचारणीय बिन्दू नकारात्मक रूप में तय किया गया है। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

24– एतदद्वारा **अभियुक्त ईश्वर सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, उम्र 40 साल, निवासी लांबा गोठड़ा, पुलिस थाना बगड़, जिला झुंझुनूं, राजस्थान** को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता में सन्देह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त की ओर से उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभू एवं बंधपत्र एतदद्वारा तत्क्षण भार से उन्मोचित किये जाते है।

25– अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (क) के उपबंध के अनुसार स्वयं का 10,000 रूपये का बंधपत्र एवं इसी राशि की प्रतिभू 06 माह की अवधि के लिये न्यायालय की संतुष्टि की पेश करे।

26– प्रकरण में जब्तशुदा वाहन न्यायालय के आदेश से सुपुर्दगी पर दिया गया है, जिसका सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निरस्त समझा जावे। वाहन सम्बंधित के पास ही बने रहने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

(सुमन चौधरी)
न्यायाधिकारी,
ग्राम न्यायालय, नवलगढ
जिला झुन्झुनूं (राज०)

27–निर्णय व आदेश आज दिनांक **12–03–2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(सुमन चौधरी)
न्यायाधिकारी,
ग्राम न्यायालय, नवलगढ
जिला झुन्झुनूं (राज०)